Vol 3 Issue 11 Dec 2013

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume-3, Issue-11, Dec-2013
ISSN 2230-7850

Available online at www.isrj.net

मध्यप्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता के विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीयोजना का मूल्यांकन (वर्ष 2000–2009)

दिनेश कुमार सिंघल , वैशाली तिवारी
प्राध्यापक, (वाणिज्य संकाय) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
शोध अध्ययन केन्द्र, एस.एन.पी.जी. महाविद्यालय

सारांश:वर्तमान में भारत की लगभग एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये परंतु जनसंख्या वृद्विके कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन –यापन करने वालो की कुल आबादी जो 1973–74 में 56 प्रतिशत् थी , वर्तमान में कम होकर लगभग 36 प्रतिशत् हो चुकी है, परंतु गरीबो की कुल संख्या में कोई कमी नहीं हुई।

1 अप्रेल 1999 के पूर्व तक अनेक स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रायसेम, डवाकरा (महिला एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम) , सीटू ग्रामीण शिल्पियों को उन्नत टूल किट का प्रभाव एवं गंगा कल्याण योजना प्रभावशील थी, परंतु इन सभी कार्यक्रम स्वयं में स्वतंत्र कार्यक्रम थे जिसके फलस्वरूप यह अपने–अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहे एवं मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में पिछड़ गये। इस स्थिति को सुधारने हेतु शासन ने उपरोक्त सभी योजनाओं को बंद कर नवीन स्वरोजगार मूलक योजनाओं को प्रारंभ किया है।

शब्द कुंजीरू. ग्रामीण उद्यमिता , विकास , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

1.1 प्रस्तावनाः–

राष्ट्र के जन–जन तक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लगातार उपाय किये जाते रहे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस प्रकार के प्रयासों में तीव्रता आई । विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका बढाने के लिये रोजगार मूलक योजनाएँ लागू की गई ।इस योजनाओं के परिणाम स्वरूप जहॉ एक ओर ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला वही दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत अधोसंरचना का विकास भी हुआ ।

इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिये रोजगार और उनकी आमदनी में बढोत्तरी करना भी होता है।इन योजनाओं के संचालन से समय–समय पर ग्रामीणों को रोजी रोटी के साधन मुहैया कराये जाते रहे है । सामान्य रूप से देखा गया है कि वर्ष में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि गांव में रहने वाले कई परिवारेां को सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली किसी योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिल पाता और उन्हें अन्य रोजगार भी नहीं मिल पाता । ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में ऐसे परिवार के सदस्य पलायन के लिये मजबूर हो जाते है या वे जीवन के लिये जरूरी साधनों के बिना ही जीवन गुजारने के लिये विवश होते है ।

पूर्व में संचालित रोजगार मूलक योजनाओं के प्रभावों से गांव के लोगों को रोजगार के अवसर तो मिल रहे थे किन्तु सभी परिवारों की आजीविका की सुनिश्चितता का अभाव बना ही रहा । इन्हीं अभावों की खाई को पाटने के समाधानो पर विगत वर्षो से विचार किया जा रहा था । रोजगार गारंटी येाजना के माध्यम से शासन ने ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रदान करने का महती प्रयास प्रारंभ किया है ।

2.2योजना के उद्देश्य

1.प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल श्रम के लिये तैयार है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना ।
2.एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ।
3.ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ परिसम्पत्ति का निर्माण ।
4.ग्रामीणों को आजीविका उपलब्ध कराना ।

1.3योजना का कियान्वयन

1.05 सितम्बर 2005 को राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित हुआ ।
2.देश के 200 जिलों में योजना लागू तथा द्वितीय चरण में ..... जिले ओर शामिल किये गये ।
3.मध्यप्रदेश में 18 जिलों में योजना लागू । द्वितीय चरण में 13 और जिले सम्मिलित ।
4.ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार होगी ।
5.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा पंचायत से अनुमोदन लिया जावेगा ।
6.कार्य के आधार पर कियान्वयन एजेंसी का चयन ।
7.जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदन के उपरान्त योजना जिला पंचायत को अग्रेषित ।
8.जिला पंचायत विकासखंड वार योजनाओं का अनुमोदन करेगी ।

1.4लाभार्थियों का पंजीयन

1.प्रत्येक परिवार द्वारा अकुशल श्रम के लिये तैयार वयस्क सदस्यों (18 वर्ष या उससे अधिक उम्र) का पंजीयन ।
2.नाम, उम्र पता एवं फोटो के साथ रोजगार पत्र ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जावेगा ।

दिनेश कुमार सिंघल , वैशाली तिवारी , "मध्यप्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता के विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीयोजना का मूल्यांकन (वर्ष 2000–2009)" Indian Streams Research Journal Vol-3, Issue-11 (Dec 2013): Online & Print

3.पंचायत छान–बीन के उपरांत पंजीयन करेगी ।
4.पंजीयन योजना लागू रहने तक ही मान्य (जो कि 5 वर्ष के लिये है) ।
5.पंजीकृत व्यक्ति आवश्यकतानुसार रोजगार की मांग कर सकेगा । किन्तु 100 दिन (एक वित्तीय वर्ष में) से अधिक एक परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है ।
6.आवेदन के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना ।

1.5रोजगार पत्र (जाब कार्ड)

1.काम प्राप्त करने वाले प्रत्येक परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा जाब कार्ड जारी किया जावेगा ।
2.प्रत्येक जाब कार्ड का एक क्रमांक होगा ।
3.जाब कार्ड में परिवार का पंजीयन क्रमांक भी लिखा जावेगा ।
4.जाब कार्ड में परिवार का ब्यौरा, समस्त वयस्क सदस्यों के नाम, आयु का विवरण एवं फोटो लगाना होगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र के प्रावधानों के अन्तर्गत गांव में होने वाले कार्यो की सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु ग्राम सभा द्वारा चयनित सदस्यों की एक समिति गठित की जावेगी । यह समिति कार्य चलते समय गुणवत्ता एवं कार्य की प्रगति की देख रेख करेगी । इस समिति में अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जावेगा ।

कियान्वयन एजेन्सी इस समिति को कार्य की अनुमानित लागत, समयावधि एवं गुणवत्ता मानकों की जानकारी उपलब्ध करायेगी । निगरानी समिति की अंतिम रिपोर्ट कार्य के पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ संलग्न की जावेगी और ग्राम सभा की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी । निगरानी समिति की रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी को एवं एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जाना है।

उक्त समितियों के गठन का उददेश्य स्थानीय स्तर पर कार्य की उपलब्धता, मजदूरी का भुगतान, जॉब कार्ड की उपलब्धता, सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की गुणवत्ता की सतत् निगरानी करना है । इन समितियों के सदस्य ग्राम वासियों में से ही चुने जाना है ।

2.0 शोध अध्ययन के उद्देश्यः–

प्रत्येक शोध एक सौंदर्य पूर्ण प्रक्रिया है। शोध का प्रयोग किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जा रहा है । यह उस क्रिया तथा प्रक्रिया का घोतक है, जिसमें अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है । अतः शोधार्थी ने अपनी समस्या की सम्पूर्ण जानकारी एवं सभी का अध्ययन करने के लिए निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया हैः–

(4) ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु शासकीय योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है?
(5) ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु शासकीय योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन संतोषजनक रहा है या नहीं ?
(6) ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आरक्षण प्रावधानों का अनुपालन किस सीमा तक किया गया है?

3.0 शोध अध्ययन की विधिः–

3.1 प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध अध्ययन राज्य स्तर एवं पूर्व म.प्र. स्तर पर पूर्ण किया जाएगा। ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु संचालित षासकीय योजनाओं स्वरोजगार योजना का समग्र रूप से क्रियान्वयन, प्रगति उसके प्रभाव का अध्ययन राज्य स्तर पर किया जाएगा ।

उद्यमिता विकास में शासकीय योजनाओं के अध्ययन हेतु दो स्त्रोतों समंको को प्राप्त किया जाएगाः–

(1) द्वितीयक स्त्रोतः– शासकीय ग्राम स्वरोजगार योजनाओं के अध्ययन के लिए द्वितीयक स्त्रोतों एवं सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा,जो उद्योग केन्द्र,म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, म.प्र. राज्य वित्त निगम, मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग , आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय , म.प्र. नगरीय कल्याण विभागों के द्वारा समय–समय पर प्रकाशित हुए है। इस तरह शासकीय विभागों से प्राप्त सूचनाओं, समंको और प्रकाशित प्रतिवेदनों से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जायेगें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनो के क्रियान्वयन व प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने के उद्देश्य से म.प्र.को एक प्रतिनिधि ईकाई के रूप में चयन किया जाएगा।

(2) प्राथमिक स्त्रोतः– म.प्र.से संबंधित जानकारियाँ द्वितीयक स्त्रोतों के साथ–साथ प्राथमिक रूप से भी एकत्रित की जाएगी इसके लिये योजना के प्रारम्भ वर्ष से 2008–09 तक के कुल लाभान्वित हितग्राहियों में से 10 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन स्वविचार निर्दशन पद्धति के द्वारा किया जाएगा। जिसमें वर्ष एवं विकासखण्ड व जनपद पंचायत के आधार पर हितग्राहियों को विभाजित कर उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

शासकीय ग्राम स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से प्राथमिक स्त्रोत जैसे उनकी योग्यता, पारिवारिक वार्षिक आय, योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पूर्व व पश्चात् परिवार की आवास स्थिति व जीवन स्तर, व्यवसाय स्थिति, ऋण प्राप्ति में कठिनाई, ऋण पुनर्भुगतान की स्थिति आदि संबंधी जानकारियाँ निम्न माध्यमों से एकत्रित की जाएगी।

(अ) स्वनिर्मित प्रश्नावली (ब) अनुसूची

4.0 शोध अध्ययन का क्षेत्र व सीमाः–

प्रस्तुत अध्ययन सम्पूर्ण म.प्र. को ध्यान में रखते हुये पूर्ण किया जायेगा । जहाँ इस शोध अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रभाव को जानने का प्रयास किया जाना है। वहीं इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं बाधाओं को भी रेखांकित किया जाएगा। यह शोध अध्ययन पृथक–पृथक योजना के आरम्भ वर्ष से 2008–09 की अवधि के क्रियान्वयन व प्रभाव तक सीमित है।

तालिका. 1
मनरेगा से लाभान्वित जातिवार हितग्राहियों की स्थिती

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित हितग्राही करोड़ में		
	अनु. जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला
2006–07	23	33	36
2007–08	39.4	42	61
2008–09	63.4	55	103.6
2009–10	86.5	58.7	136.4
2010–11	78.8	53.6	122.7
2011–12	46.2	37.7	101.1
योग	337	280	561

तालिका .2
मनरेगा की वित्तीय स्थिती (करोड़ मेद्ध

वित्तीय वर्ष	बजट आंवटन	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिषत
2006–07	11, 300	8,824	5842	66
2007–08	12, 000	15,857	10739	68
2008–09	30,000	27,250	18200	67
2009–10	39,100	37,905	25579	67
2010–11	4,100	3,377	25686	65
2011–12	40,000	37,303	24660	66
योग	17,2500	1,66,516	110706	66

उपयुर्क्त तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति के 23 करोड़, 2007–08 में 39.4 करोड़ 2008–09 में 63.4 करोड़ 2009–10 में 86.5 करोड़ तथा 2010–11 में 78.8 करोड़ कुल 337 करोड़ हितग्राही लाभान्वित हुए थे।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के वर्ष 2006–07 में 33 करोड़, 2007–08 में 42 करोड़, 2008–09 में 55 करोड़, 2009–10 में 58.7 करोड़, तथा 2010–11 में 53.6 करोड़ तथा 2011–12 में 37.7 करोड़, कुल 280 करोड व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए थे ।

इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में 36 करोड़, 2007–08 में 61 करोड़, 2008–09 में 103.6 करोड़, 2009–10 में 136.4 करोड़, 2010–11 में 122.7 करोड़ तथा 2011–12 में 101.1 करोड़ महिलाए कुल 561 करोड़ महिलाए मनरेगा से लाभान्वित हुई थी ।

उपयुर्क्त तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक कुल बजट आंवटन 172500 करोड़ रू. हुआ । कुल लक्ष्य 166516 करोड़ रू. रखा गया जबकि उपलब्धि निरंतर 2006–07 में 5842 करोड़ से क्रमशः बढ़ते हुए 2011–12 में 24660 करोड़ रू. प्राप्त हुई जबकि प्रतिशत में कोई अन्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

5.0 निष्कर्ष

मनरेगा में नियोजन प्रक्रिया एक अनुष्ठान के तरीके से की गई बिना ग्राम सभा को सार्थक रूप से जोडे जैसा कि अधिनियम में वाछित है । इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यावहारिक रूप से योजना सरपंच एवं सचिव द्वारा तैयार की गई है । अधिकतर (95 प्रतिशत) सरपंचों और सचिवों ने कहा है कि नियोजन ग्राम सभा में अनुमोदित है जबकि केवल 1 प्रतिशत परिवार इसका समर्थन करते हैं । यह दर्शाता है कि वास्तव मे ग्रांम सभाऐं नियोजन के विकास एवं अनुमोदन में सम्मिलित नहीं हैं । यह मात्र एक औपचारिकता है जो कि कागजों पर की गई है ।

अभी भी राज्य शासन का योजना के कियान्वयन स्तर पर काफी नियंत्रण है । कई गतिविधियां विभागों की वरीयताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार नियोजित और कियान्वित की गई हैं न कि ग्राम सभा के अनुसार । सरपंच/ सचिव अनुभव करते हैं कि विभाग (अथवा राज्य शासन) गांव में होने वाले कार्यो के प्रकार पर प्रभाव डालते हैं । उत्तरदाताओं के एक बडा भाग (25.1 प्रतिशत) यह भी कहता है कि वार्षिक योजनाओं को प्रभावी व्यक्तियों जैसे एमएलए/ एमपी आदि के द्वारा प्रभावित किया जाता है । अधिकतर (75 प्रतिशत) पंचायत प्रतिनिधि विकासखंडों द्वारा प्रदाय किए जा रहे तकनीकी सहयोग से संतुष्ट देखे गए । उनमें से 40 प्रतिशत जो संतुष्ट नहीं थे, ने कहा कि उन्हें योजना के तकनीकी विषयों जैसे एटीमेट तैयार करना आदि पर सहयोग नहीं मिलता हैं अधिकतम 30 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि वे विकासखंड द्वारा दस्तावेजों के प्रसंस्कीकरण से संतुष्ट नहीं हैं । काम की मांग पर पंचायतों की जवाबदेही संतोषजनक नहीं है । केवल 48.8 प्रतिशत परिवारों को ही मांग के 15 दिवस के भीतर काम प्राप्त हुआ है । मजदूरों ने यह भी कहा है कि उन्होंने जितने दिन का काम मांगा उतना प्राप्त भी नहीं हुआ है । कुल मिलाकर 78.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हे मांग से कम दिन का काम प्रदाय किया गया ।

6.0 सुझाव

किसी कियान्वयन संस्था से जवाबदेहीता एवं पारदर्शिता की मांग करने के लिये ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण संस्था है । यह देखा गया है कि सरपंच एवं सचिव जानकारी के मुख्य स्त्रोत होते है या जानकारी प्रदायकर्ता होते है । यह स्वाभाविक है कि सरपंच एवं सचिव कभी भी यह नही चाहेंगे कि पारदर्शिता एवं स्वयं की जवाबदेयता हो बडाया जाय । जिसके कारण से, सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत पंजी के बारे में कम ही जानकारी एवं जागरूकता लोगों को हो पाती है इसके साथ ही अधिकांश स्थान पर ग्रामसभा वार्षिक नियोजन की प्रक्रिया में भी सक्रिय नहीं हैं इसमें सुधार हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :–

ग्राम सभा के स्तर पर उसकी सामाजिक अंकेक्षण में भूमिका के बारे में वृहद स्तर पर जागरूकता लायी जाय । इस हेतु अभियान का आयोजन स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग एवं समन्वय से आयोजित किये जाने की आवश्यकता है ।

सामाजिक अंकेक्षण को एकदम उथले तौर पर किया जा रहा है एवं सामाजिक अंकेक्षण के तहत प्रदाय या उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी भी अत्यधिक प्राथमिक स्तर की होती है । प्रत्येक विकासखण्ड एवं जिले के स्तर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति सामाजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं उसके अनुपालन पर प्रतिक्रिया लाने के लिए की जाना चाहिये ।

ग्राम सभा का आयोजन वास्तव में सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु नही किया जाता है । इस कारण से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं मजदूरों की इसमें भागीदार का पता लगाने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा आकस्मिक जांच की जाना चाहिये ।

पंचायत भवन की दिवार पर पर यह लिखा जाना आवश्यक कर देना चाहिये कि मनरेगा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिये शिकायत पुस्तिका पंचायत में उपलब्ध है । पर्याप्त

पारदर्शिता के कारण अधिक से अधिक लोग शिकायत दर्ज कर सकेंगे ।

पंचायत को सूचना के अधिकार की धारा 4 (अ) के तहत निर्धारित मानकों पर पंचायत को अपने दस्तावेजों को स्व घोषित करने हेतु प्रोत्साहित करे । वृहद पारदर्शिता के कारण जानकारी आदान–प्रदान करने एवं शिकायतों में भी कमी आयेगी ।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिये अनुभवी कार्यकर्ताओं/मेंटरों की नियुक्ति आवश्यक की जाये । यह कार्यकर्ता/मेंटर गांव के ही पढे–लिखे युवा या स्वयं सेवी संसथओ के कार्यकर्ता भी हो सकते है । राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन समस्त कार्यकर्ताओं/मेंटर का पर्याप्त अभिमुखिकरण किया गया हो एवं क्षमता वृद्धि भी की गयी हो ताकि वे सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी रूप में कियान्वित करने में सहयोग कर सके ।

सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन करने वाली समिति के सदस्यों के लिये न्यूनतम मानदेय (जैसा मेट के लिये किया गया है) का प्रावधान किया जाना उपयोगी होगा । इससे उन्हें केवल प्रेरणा मिलेगी अपितु प्रक्रिया भी उचित तरीके से हो सकेगी ।

सामाजिक अंकेक्षण की समिति को मजबूत करने के लिये स्थानीय नेतृत्व मुख्यतः वे रहवासी जिन्होंने विगत अवधि में पंचायत के चुनाव लडे यहो या पंच इत्यादि रहे हो ।

सतकता एवं अनुश्रवण समिति को अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता है । राज्य सरकार के द्वारा इस समिति के गठन, भूमिका इत्यादि के संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये है । समिति के सदस्यों का पर्याप्त क्षमतावर्धन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि वे मनरेगा के चल रहे कार्यो का अनुश्रवण प्रभावी तरीके से कर सके ।

मनरेगा के कियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने हेतु पंच की भूमिका पर विस्तार से विचार किया जाना आवश्यक होगा ।

9.0 संदर्भ ग्रंथो की सूची :–

(1) अग्रवाल, डी. के., उद्यमिता विकास, शिवा प्रकाशन, इन्दौर,2009

(2) गुप्ता, डा. यू.सी एवं गुप्ता, डा. एल.डी., उद्यमिता विकास, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2007

(3) गंगेले, डा. अरूण, मिश्रा, डा.पी. के एवं जैन, डा. जिनेन्द्र कुमार, उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2005

(4) राजकीय प्रकाशन , स्व सहायता समूह व्यवहारिक मार्गदर्शिका , म.प्र. ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल–2003

(5) स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएँ , भारतीय स्टेट बैंक, कार्पोरेट केन्द्र, मुंबई – 40002(3) राय, पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल–3,2002

(6) शर्मा, आर.ए., शोध प्रबंध लेखन, लायल बुक डिपो मेरठ, 2005

(7) डा. शुक्ल , नरेन्द्र , क्षेत्रीय विषमता और आर्थिक विकास (म.प्र. के विशेष संदर्भ में) , म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2005

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net